Email: upsgvb@yahoo.in

दुरभाषः 0522 2238844,3056439
PHONES: 3056423, 3056415
फैक्स : 0522 2239806

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0

प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

पत्रांकः 21769/नि0 एवं वि0/2017–18 दिनांक– 25-1-18

समस्त जिला स्तरीय शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उ0प्र0।

कृपया संस्थागत वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक 29148/बी-3(ए0सी0पी0)/2018-19 को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त शाखाओं की वार्षिक ऋण योजना 2018-19 को वार्षिक डी0सी0सी0/डी0एल0आर0सी0 की बैठक में अनुमोदन के पूर्व संदर्भित पत्र में दिये गये बिन्दुओं का समावेश करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्नकः उक्तानुसार।

25/01/2018

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (नि0 एवं वि0)

प्रतिलिपिः- उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर), को जिला स्तरीय शाखाओं को ई-मेल कराने हेतु।

महाप्रबन्धक (नि0 एवं वि0)

पत्रांक- 29148/बी-3(ए0सी0पी0)/2018-

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
संस्थागत वित्त विभाग,
उ0प्र0शासन,
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांकः जनवरी 22, 2018

विषयः बैंकों द्वारा जनपदों में वार्षिक ऋण योजना-2018-19 का प्रतिपादन।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के पत्र सं0-25328/बी-3/(ए0सी0पी0)/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को संदर्भित करने का कष्ट करें। तत्क्रम में डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. की बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के अनुमोदन पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि निम्नांकित बिन्दुओं का समावेश योजना में कर लिया गया है:-

(i)- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना किये जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कृषि, उद्यान, वानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, और खाद्य प्रसंस्करण आदि को प्रोत्साहित करते हुए इन क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। पूर्वी क्षेत्र के जनपदों में कृषि क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि ''हरित क्रान्ति योजना'' के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह बढ़े। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्य के अनुसार जनपद के सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड/पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके।

(ii)- योजनान्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत एम.एस.एम.ई./शिक्षा/आवास/सामाजिक अवस्थापना आदि क्षेत्रों में ऋण वितरण हेतु पर्याप्त प्राविधान किया गया है।

(iii)- योजनान्तर्गत जनपद में पारम्परिक उद्योग को चिन्हित करते हुए 'एक जनपद-एक उत्पाद' का सिद्धान्त अपनाया जाय तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना/स्टैण्ड अप इण्डिया योजना/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार कार्यक्रम/प्रधानमंत्री हथकरघा मुद्रा योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण के लक्ष्य का निर्धारण किये गये है।

(iv)-इसी प्रकार ''सबके लिए आवास'' मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु कार्यान्वित प्रधामन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि उक्त मिशन निर्धारित समय सीमा (वर्ष 2022) में पूरा हो सके।

(v) योजनान्तर्गत गैर प्राथमिकता क्षेत्र में भी अपेक्षित ऋण वितरण हेतु पर्याप्त लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है ताकि जनपद में रोजगार सृजन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हों।

DIE LKO -05224073653

(vi) जनपद में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों की उनकी उपस्थिति के अनुसार सहभागिता सुनिश्चित कर ली गयी है। साथ ही जिला सहकारी बैंकों के लिये लक्ष्य निर्धारण उनकी आर्थिक सुदृढ़ता के आधार पर ही किया गया है।

उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तद्नुसार उपर्युक्त बिन्दुओं दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के अनुमोदन पूर्व सभी बैंकों एवं समस्त कार्यदायी विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त योजना को अन्तिम रूप दिया जाए एवं इस संबंध में कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र. 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ को director.general.dif@gmail.com पर अवगत भी करा देवें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव।

अ0शा0प्र0प0सं0- 29/48 -55 /बी-3/(ए0सी0पी0)/2018-19/तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी बैंक, सहकारी किसान भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
6- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0, बैंक ऑफ बड़ौदा, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- समस्त व्यावसायिक बैंको के आंचलिक प्रबंधक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सहित)।
8- समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, उ0प्र0।

(राकेश कृष्ण)
अपर निदेशक, संस्थागत वित्त।

2018 11:25AM FAX +05224073653 DIF LKO 0002

पत्रांक- 29148/बी-3(ए0सी0पी0)/2018-

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
संस्थागत वित्त विभाग,
उ0प्र0शासन,
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांकः जनवरी 22, 2018

विषयः बैंकों द्वारा जनपदों में वार्षिक ऋण योजना-2018-19 का प्रतिपादन।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के पत्र सं0-25328/बी-3/(ए0सी0पी0)/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को संदर्भित करने का कष्ट करें। तत्क्रम में डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. की बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के अनुमोदन पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि निम्नांकित बिन्दुओं का समावेश योजना में कर लिया गया हैः-

(i)- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना किये जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कृषि, उद्यान, वानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, और खाद्य प्रसंस्करण आदि को प्रोत्साहित करते हुए इन क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। पूर्वी क्षेत्र के जनपदों में कृषि क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि ''हरित क्रान्ति योजना'' के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह बढ़े। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्य के अनुसार जनपद के सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड/पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके।

(ii)- योजनान्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत एम.एस.एम.ई./शिक्षा/आवास/सामाजिक अवस्थापना आदि क्षेत्रों में ऋण वितरण हेतु पर्याप्त प्राविधान किया गया है।

(iii)- योजनान्तर्गत जनपद में पारम्परिक उद्योग को चिन्हित करते हुए 'एक जनपद-एक उत्पाद' का सिद्धान्त अपनाया जाय तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना/स्टैण्ड अप इण्डिया योजना/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार कार्यक्रम/प्रधानमंत्री हथकरघा मुद्रा योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण के लक्ष्य का निर्धारण किये गये है।

(iv)-इसी प्रकार ''सबके लिए आवास'' मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु कार्यान्वित प्रधामनंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि उक्त मिशन निर्धारित समय सीमा (वर्ष 2022) में पूरा हो सके।

(v) योजनान्तर्गत गैर प्राथमिकता क्षेत्र में भी अपेक्षित ऋण वितरण हेतु पर्याप्त लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है ताकि जनपद में रोजगार सृजन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हों।